

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बलदेवसिंह हाडा

प्रार्थना पत्र संख्या 09/11

तारीख रजू— 13/10/2011

यसिंह पुत्र केसरा जाति गुर्जर निवासी ग्राम आरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

—प्रार्थी

बनाम

1- रामस्वरूप 2- रामराज 3- रामखिलाडी 4- रामकिशोर पुत्रान स्व0 श्रवण

नर्मदा पत्नि स्व0 श्रवण

जति गुर्जर निवासी ग्राम आरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक—05/11/2015


वकील प्रार्थी ने यह ब्रीच प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण द्वारा अदालत हाजा के आदेश दिनांक 05/11 की अवहेलना करने के कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया है। ब्रीच प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए व बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध 19/05/11 को रिकार्ड व मोके स्थिति यथावत रखने हेतु निषेधाज्ञा जारी की हुई थी। उक्त निषेधाज्ञा के बावजूद अप्रार्थीगण ने 09/11 को एक ट्रौली पत्थर मोके पर डालकर प्रार्थी के बाड़े के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को निष्फल करने के लिए जबरन बाजरे की फसल कुछ क्षेत्र पर बोदी इस कारण अप्रार्थीगण न्यायालय के आदेश की अवहेलना के दोषी है। भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में कोई गवाह नहीं किये हैं। अतः बिना साक्ष्य के उनके कथन को सही होना नहीं माना जा सकता है एवं की खातेदारी है। अतः उसे उपयोग उपभोग करने का उन्हें विधिक अधिकार है इसके लिये उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता है।

दोनों विद्वान अभिभाषकों की बहस को गौर किया। पत्रावली का अध्ययन किया। पत्रावली में गवाह प्रार्थी की ओर से पेश नहीं हुआ है। भू-अभिलेख निरीक्षक की मोका रिपोर्ट दिनांक 12/11 पत्रावली में है लेकिन उसमें भी पत्थर डालने, रास्ता अवरुद्ध करने के बारे में कोई न नहीं है। अतः साक्ष्य के बिना अप्रार्थी के द्वारा यदि कोई न्यायालय के आदेश के विपरीत कार्य किया है तो उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ब्रीच प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर